

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- श्रीनिधि बी टी, आई.ए.एस., जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

प्रकरण संख्या :- 03/2025 (जीसीएमएस नम्बर-2025/36)

उनवानी प्रकरण :-

सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, धौलपुर ----- सायल।

बनाम

श्री भोले उर्फ भोला पुत्र श्री शिवचरन जाति लोधा उम्र 26 साल निवासी इटायपाड़ा पुराना शहर धौलपुर थाना कोतवाली जिला धौलपुर ----- गैरसायल।

इस्तगासा अंतर्गत धारा 3 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :-

1- सायल की ओर से :- सुश्री दिव्या कमठान अभियोजन अधिकारी।

2- गैरसायल की ओर से :- श्री सचिन पाराशर अभिभाषक धौलपुर।

निर्णय दिनांक 10.03.2026

निर्णय

जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की ओर से थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली से प्राप्त इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 विरुद्ध गैरसायल श्री भोले उर्फ भोला पुत्र श्री शिवचरन जाति लोधा उम्र 26 साल निवासी इटायपाड़ा पुराना शहर धौलपुर थाना कोतवाली जिला धौलपुर इस आशय का प्रस्तुत किया है कि गैरसायल आदतन सट्टा/जुआ खेलने का आदी है तथा रूपयो पैसो का दाव लगाकर सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सट्टेबाजी करता कई बार पकड़ा है एवं अन्य लोगो को इसे खेलने के लिए प्रेरित करता है। उक्त अपराध एक सेवा अपराध है जिसके कारण समाज के नवयुवक वर्ग का को खोखला कर दिया है। गैरसायल को बार-बार जुआ खेलते हुए गिरफ्तार करने एवं उसके विरुद्ध चालान पेश न्यायालय में करने एवं माननीय न्यायालय द्वारा उसे दोषी करार कर अर्थदण्ड से दण्डित करने के बावजूद भी वह अपनी हरकतो व आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश नही लगा रहा है बल्कि बिना किसी कानून के भय के लगातार इसी अपराध को आदतन रूप से करता चला आ रहा है जिससे एक ओर जहाँ वह स्वयं को इलाका का सट्टा किंग घोषित कर आम जनता में भय का माहौल उत्पन्न कर रहा है। वही अपने लाभ के लिए युवा पीढी को इस अपराध में धकेल रहा है जिसके कारण आम नागरिक उसके विरुद्ध ना तो साक्ष्य देना चाहता है, ना ही उसके भय के कारण स्वतन्त्र रूप से

शिकायत उच्चाधिकारियों को अथवा पुलिस को दे पा रहा है। गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना कोतवाली पर दर्ज अपराधों का विवरण इस प्रकार है:- मु0न0 256/2023 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 8.5.2023 जिसमें चार्जशीट नम्बर 149 दिनांक 19.5.2023 को पेश न्यायालय की गई एवं न्यायालय सीजेएम धौलपुर द्वारा दिनांक 17.8.2023 को दोषी करार कर 200 रुपये के दण्ड से दण्डित किया। मु0न0 303/2023 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 30.5.2023 जिसमें चार्जशीट नम्बर 183 दिनांक 10.06.2023 को पेश न्यायालय की गई एवं न्यायालय सीजेएम धौलपुर द्वारा दिनांक 2.8.2023 को दोषी करार कर 200 रुपये के दण्ड से दण्डित किया। मु0न0 553/2023 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 5.11.2023 जिसमें चार्जशीट नम्बर 369 दिनांक 12.12.2023 को पेश न्यायालय की गई एवं न्यायालय सीजेएम धौलपुर द्वारा दिनांक 20.12.2023 को दोषी करार कर 200 रुपये के दण्ड से दण्डित किया। प्रतापनगर थाना जयपुर में दर्ज मु0न0 569/2022 धारा 143,323,341,325 आईपीसी जिसमें चार्जशीट 187 दिनांक 12.9.2022 में पेश न्यायालय की जा चुकी है। गैरसायल श्री भोले उर्फ भोला पुत्र शिवचरन के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों व गैरसायल की गतिविधियों से आम जनता में उत्पन्न भय, सन्त्रास व उनका जीवन खतरे में पड़ा हुआ है। उक्त प्रकरणों में उसकी अपराधिक गतिविधियों के आधार पर उक्त गैरसायल गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख)(5)(8) की तारीफ में आता है, जिसे गुण्डा घोषित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः उक्त आधारों पर गैरसायल श्री भोले उर्फ भोला पुत्र शिवचरन के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3 के तहत मुकदमा दर्ज कर धौलपुर शहर से 6 माह के लिए निष्कासित करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को नोटिस इस आशय का जारी किया गया, कि उसे इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो, तो वह इस न्यायालय में उपस्थित होकर कारण बताये।

गैरसायल की ओर से श्री सचिन पाराशर अभिभाषक ने अपना वकालतनामा पेश कर नोटिस का जबाब पेश किया जिसमें उन्होंने कथन किया कि गैरसायल के एक शांतिप्रिय एवं सामाजिक व्यक्ति है। गैर सायल के विरुद्ध किसी भी गंभीर अपराधो का इतिहास नहीं है और ना ही वर्तमान में विचाराधीन है। गैरसायल करीब 1 साल से अहमदाबाद में मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहा है। अतः गैरसालय का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त प्रकरण को खारिज किया जावे।

सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में मु0न0 256/2023, 303/2023, 553/2023 में दर्ज एफ0आई0आर, चार्जशीट, तथा आपराधिक रिकार्ड की सूची प्रस्तुत की। गैरसायल ने अपने जबाव प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। सायल के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि गैरसायल के विरुद्ध 04 प्रकरण दर्ज है। उक्त सभी प्रकरणों में चालान पेश न्यायालय किए जा चुके हैं। गैरसायल अपनी आदतों से वाज नहीं आ रहा है। गैरसायल आदतन जुआ खेलना, खिलाने, सट्टेबाजी करने का आदी है जिससे समाज में कुरीति फैलती है, समाज पर इसका कुप्रभाव पडता है। आमजन इससे भयभीत रहने लगा है, जनता में इतना भय व्याप्त है कि इसके घटना करने के बाद आमजन रिपोर्ट नहीं करते हैं, गैरसायल शाहिद का

स्वच्छन्द रहना जनता हित में ठीक नहीं है। गैरसायल का यह कृत्य राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की परिधि में आता है। अतः गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत कार्यवाही की जाकर गैरसायल को 06 माह के लिए जिला बदर किया जावे।

गैरसायल के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि गैरसायल के एक शांतिप्रिय एवं सामाजिक व्यक्ति है। गैर सायल के विरुद्ध किसी भी गंभीर अपराधो का इतिहास नहीं है और ना ही वर्तमान में विचाराधीन है। गैरसायल करीब 1 साल से अहमदाबाद में मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहा है। अप्रार्थी को गलत तथ्यों के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत नोटिस दिया गया है। गैरसायल ने कभी भी बहु बेटियों के साथ छेडछाड की है। गैरसायल ने कभी भी किसी व्यक्ति को भयभीत नहीं किया है। अतः गैरसायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त प्रकरण को खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषकगणों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 यद्यपि लोक व्यवस्था को कायम रखने की दृष्टि से गुण्डों पर नियंत्रण करने और उनको दबाने के लिये विशेष उपबंध बनाने का अधिनियम है, तदापि नागरिकों की सामान्य स्वतंत्रताओं को भी अक्षुण्ण रखना लोक व्यवस्था के लिये आवश्यक है। अधिनियम की धारा 2 में शब्द गुण्डा को निम्न रूप से परिभाषित किया गया है :-

“(आ) “गुण्डा” से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है, जो-


1. स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य अथवा नेता या मुखिया के रूप में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) के अध्याय 16, 17 या 22 अथवा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 290 से 294 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध करने का अभ्यस्त है, या करने का प्रयास करता है, या करने के लिये प्रेरित करता है, अथवा
2. सप्रेषन ऑफ इम्मोरल ट्रेफिक इन वुमन एण्ड गर्ल्स अधिनियम 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 104) के अधीन दोषी ठहराया गया हो, अथवा
3. राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 (1950 का राजस्थान अधिनियम संख्या 11) के अंतर्गत कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो, अथवा
4. अफीम अधिनियम, 1878 (1878 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 1) या एन0डी0पी0एस0 एक्ट 1985 के अंतर्गत कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो, अथवा
5. राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश, 1949 (1949 का राजस्थान अध्यादेश संख्या 48) के अधीन कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो, अथवा
6. महिलाओं एवं लडकियों पर अभ्यासतः अशिष्ट टिप्पणी करता या उन्हें छेडता हुआ पाया गया हो, अथवा

7. हिंसात्मक कार्यो या बल प्रदर्शन द्वारा कानून का पालन करने वालों को कष्ट देने का अभ्यासी पाया गया हो, अथवा
8. जो सार्वजनिक स्थानों पर दंगा या शांति भंग करने या बलवा करने का अभ्यासी हो या जो बलपूर्वक चंदे का संग्रह अथवा अपने या दूसरों के अवैध आर्थिक लाभ हेतु लोगों को धमकी देने का अभ्यस्त हो या जो व्यक्तियों अथवा सम्पत्ति की चेतावनी, खतरा या नुकसान करने का अभ्यस्त हो।

स्पष्टीकरण :- किसी व्यक्ति के सम्बंध में खण्ड में जहाँ किसी "अभ्यस्त" या "अभ्यासी" शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो इससे ऐसे व्यक्ति का अभिप्राय है, जो धारा 3 के अंतर्गत किसी कार्यवाही के आरम्भ में तुरन्त पूर्व छः माह की अवधि के दौरान कम से कम तीन अवसरों पर खण्ड (1), (6), (7) या (8) में वर्णित यथास्थिति, अपराध या कार्य करने का दोषी पाया गया हो।"

प्रस्तुत प्रकरण में गैरसायल के विरुद्ध निम्न मुकदमों का उल्लेख किया है:- मु0न0 256/2023 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 8.5.2023 जिसमें चार्जशीट नम्बर 149 दिनांक 19.5.2023 को पेश न्यायालय की गई एवं न्यायालय सीजेएम धौलपुर द्वारा दिनांक 17.8.2023 को दोषी करार कर 200 रुपये के दण्ड से दण्डित किया। मु0न0 303/2023 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 30.5.2023 जिसमें चार्जशीट नम्बर 183 दिनांक 10.06.2023 को पेश न्यायालय की गई एवं न्यायालय सीजेएम धौलपुर द्वारा दिनांक 2.8.2023 को दोषी करार कर 200 रुपये के दण्ड से दण्डित किया। मु0न0 553/2023 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 5.11.2023 जिसमें चार्जशीट नम्बर 369 दिनांक 12.12.2023 को पेश न्यायालय की गई एवं न्यायालय सीजेएम धौलपुर द्वारा दिनांक 20.12.2023 को दोषी करार कर 200 रुपये के दण्ड से दण्डित किया, जो अधिनियम की धारा 2(ख) की उपधारा 5 के अन्तर्गत आते हैं। गैरसायल अधिनियम 1975 के उद्देश्यों के लिए गुण्डा हैं, जिसके विरुद्ध धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना उचित होगा क्योंकि धारा 2 (ख) की उपधारा 5 में यह उल्लेख है कि "राजस्थान सार्वजनिक जूआ अध्यादेश, 1949 (1949 का राजस्थान अध्यादेश संख्या 48) के तहत कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो"

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि गैरसालय राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के उद्देश्यों के लिए गुण्डा हैं और उसकी गतिविधियों से धौलपुर जिले के व्यक्तियों को नुकसान हो रहा है और होने की सम्भावना है। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 जिस बुराई को रोकने के लिए यथा लोक व्यवस्था की स्थिति को कायम रखने के लिए गुण्डों पर नियंत्रण करने व उनको दबाने के लिए जो विशेष उपबन्ध करता है, वह इस प्रकरण में पूरी तरह साबित हैं और गैरसायल को अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत जिला धौलपुर से निष्कासित किया जाना पूर्णतः न्यायोचित और विधिसम्मत है।


जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। गैरसायल श्री भोले उर्फ भोला पुत्र श्री शिवचरन जाति लोधा उम्र 26 साल निवासी इटायपाड़ा पुराना शहर धौलपुर थाना कोतवाली जिला धौलपुर को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत 15 दिवस के लिये जिला धौलपुर से निष्कासित कर जिला करौली में रहने के आदेश दिये जाते हैं। उपरोक्त अवधि में गैरसायल जिला करौली में रहेगा जहाँ वह शान्ति व्यवस्था कायम रखेगा व कोई आग्नेय-अस्त्र शस्त्र अपने पास नहीं रखेगा। यदि उसके पास लाईसेन्सी हथियार है तो उसे अपने नजदीकी थाने में जमा करायेगा। गैरसायल प्रथमतः पुलिस अधीक्षक करौली के यहाँ उपस्थित देगा, जहाँ से पुलिस अधीक्षक करौली के निर्देशानुसार बताये गये थाने में प्रत्येक सोमवार को अपनी उपस्थिति देगा। पुलिस अधीक्षक धौलपुर गैरसायल को पुलिस अधीक्षक करौली के यहाँ उपस्थिति हेतु पाबन्द करेंगे। इस आदेश की पालना हेतु पुलिस अधीक्षक धौलपुर, पुलिस अधीक्षक करौली के नियंत्रण में गैर सायल श्री भोले उर्फ भोला पुत्र श्री शिवचरन जाति लोधा उम्र 26 साल निवासी इटायपाड़ा पुराना शहर धौलपुर जिला धौलपुर को सुपुर्द कर पालना सुनिश्चित करायेगें। 15 दिवस पूरे होने पर गैरसायल जब पुनः धौलपुर जिले की सीमा में प्रवेश करेगा तो इसकी सूचना वह जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर को देगा। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर व जिला पुलिस अधीक्षक करौली को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 9.3.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(श्रीनिधि बी टी)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

